

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 42/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

1. मु० कंचन बेवा राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2. सुरेश पिता राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां
3. महेश पिता राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां
4. मु० माया पुत्री राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां
5. मु० सीता पुत्री राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां
6. मु० मैना पुत्री राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां
7. मु० किस्मत पुत्री राधेश्याम ब्राह्मण निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री महावीर पिता मांगीलाल वैष्णव निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकला
2. श्री मदन पिता मोहन लौहार निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकला
3. श्री द्वारका पिता जगनाथ माली निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकला
4. श्री लादू पिता उगमा माली निवासी खेडा हेतम तहसील फूलियाकला

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 31.05.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थीगण के सपंगारी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.45 है०, 205 रकबा 0.49 है०, 545 रकबा 0.38 है०, 549 रकबा 0.09 है०, 550 रकबा 0.09 है० कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.50 है० का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम सणगारी संवत 2073 से 2076 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सणगारी में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 05 रकबा 1.50 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये (अक्षरे छः सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।




()  
( एम0पी0 नायक )

आर0ए0एस0  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



()  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा